उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग- 2

संख्या-58/2016/वे0आ0-2-1260/दस-2016

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर, 2016

**<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अध्ययन/विश्लेषण तथा अन्य वांछित कार्यवाही के सम्पादन हेतु राज्यपाल महोदय निम्नलिखित अस्थायी पदों को दिनांक 28 फरवरी, 2017 तक के लिए, यदि इसके पूर्व ही इन पदों को समाप्त न कर दिया जाय, सृजित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

| क्र0 सं0 | पदनाम | वेतनमान (रू0) | पदों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | शोध अधिकारी (निःसंवर्गीय) | वेतन बैण्ड-3 रू0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन 5400/- | 01 |
| 2 | अपर सांख्यिकीय अधिकारी (निःसंवर्गीय) | वेतन बैण्ड-3 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4600/- | 02 |
| 3 | अवर वर्ग सहायक (निःसंवर्गीय) | वेतन बैण्ड-3 रू0 9300-34800 एवं ग्रेड वेतन 4200/- | 04 |
| | कुल संख्या | | **07** |

2- उक्त सृजित पदों को सेवा स्थानान्तरण/समायोजन/सेवानिवृत्त कर्मचारियों से पुनर्नियुक्ति द्वारा तथा अनुपलब्धता की स्थिति में नियत मानदेय पर भरा जायेगा तथा सृजित पदों को मानदेय के आधार पर भरे जाने के स्थिति में प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन को नियुक्ति हेतु सक्षम प्राधिकारी होगें।

3- उपर्युक्त सभी पदधारकों को सम्बन्धित वेतनमान में वेतन/मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते जो भी समय-समय पर शासन द्वारा स्वीकृत किये जाये अनुमन्य होगें।

4- उपर्युक्त प्रस्तर-1 में सृजित पदों पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आयोजनेत्तर-105-विशेष जॉच आयोग-03 राज्य आयोग और समितियॉ-01 वेतन समिति का गठन'' के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

अजय अग्रवाल
सचिव

**संख्या-58/2016/वे0आ0-2-1260(1)/दस-2016,तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग-1/5
(3) वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
(4) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
(5) लेखाकार, वेतन समिति।

रमेश कुमार त्रिपाठी
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।